22-3-21। पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वादी व प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] निवेदन स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध निर्णय पत्रक के लिख शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील रिकॉर्ड रेवेन्यू भण्डार हो एवं मूल वाद के शामिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(3)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- संजय कुमार गोरा ( आर.ए.एस )
टी0 आई0 संख्या :- 37 / 2017
दायर दिनाक :- 27.06.2017
निर्णय दिनांक :- 22.03.2021

## उनवान

1 सीताराम पुत्र कन्हैया लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जीरोता कला तहसील दौसा
2 रतना पुत्र कन्हैया लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जीरोता कला तहसील दौसा

( प्रार्थीगण )

## बनाम

1 रामावतार पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम पालूदा तहसील लालसोट
2 राजू दादर पुत्र पूरणचन्द दादर जाति बैरवा निवासी ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

( अप्रार्थीगण )

उपस्थिति :- 1 श्री जगजीवन राम बैरवा अधिवक्ता प्रार्थीगण

## प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उक्त प्रकरण मे सक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है की ग्राम जीरोता कला तहसील दौसा में खसरा 245 रकबा 0.58 है0 भूमि स्थित है, जिसकी खातेदारी सीताराम, रतना पुत्रान कन्हैयालाल हिस्सा 1/2 ओमप्रकाश, नन्दराम कैलाश पुत्र महादेव बैरवा हिस्सा 1/2 सा0 देह के नाम से दर्ज है, कैलाश खातेदार का देहान्त हो चुका है, उसकी पत्नि प्रतिवादी नम्बर 5 है तथा वारिस है। उक्त भूमि बांहमी बटवारा में मौके पर प्रार्थीगण के हिस्से में आ[illegible] काबिज होकर काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (रा[illegible]

Scanned with CamScanner

चले आ रहे है। अप्रार्थीगण का विवादित भूमि खसरा 245 रकबा 0.58 है0 भूमि में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व वास्ता नही है परन्तु वे लाठी के बल पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को दबा कर पुख्ता दुकान निर्माण करने की आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 दिनांक 20.06.2017 को खसरा नम्बर 245 की भूमि पर आये और जबरन उक्त विवादित भूमि को दबाकर पुख्ता दुकान निर्माण करने का असफल प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से प्रार्थीगण एवं लोगो के समझाने पर वापिस गये और एलानिया कहा कि मौका मिलने पर खसरा नम्बर 245 की भूमि को दबाकर ही निर्माण करेगे इसलिए बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया। अप्रार्थीगण इस नाजायज कार्यवाही मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थीयान के जायज व कानूनी अधिकारो का हनन होगा, इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 245 ग्राम जीरोता कला तहसील दौसा के कब्जे काश्त में प्रार्थीयान को दखलदाजी नही करने तथा उक्त भूमि के किसी भी भाग में किसी प्रकार का निर्माण नही करने हेतु प्रतिबन्धित करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय मे पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 0.58 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसमे अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है।

(1) <u>प्रथम दृष्टया केस</u> :– वाद ग्रस्त भूमि ग्राम जीरोता कला स्थित खसरा नम्बर 245 रकबा 0.58 है0 भूमि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि होने से यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

(2) <u>सुविधा का संतुलन</u> :– अप्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध व वास्ता नही होने के कारण सुविधा के संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

(3) <u>अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त</u> :– प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा जबरन पुख्ता निर्माण कार्य क[illegible] अधिकारो को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

हनन होता है तथा अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के उक्त तीनो बिन्दु अप्रार्थीगण की बजाय प्रार्थीगण के पक्ष मे पाये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबिन्धित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम जीरोता कला स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 0.58 है0 भूमि के किसी भी भू-भाग मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मूल वाद के निस्तारण तक दखलदांजी नही करे तथा निर्माण कार्य नही करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो एवं मूल वाद के संलग्न हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner